न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/77
दायरा तिथि : 14.02.25
आदेश तिथि : 08/08/2025
प्रार्थी :–

किरण कुंवर पुत्री कालुसिंह देवडा जाति राजपूत निवासी देलदर तहसील आबूरोड जिला सिरोही

ब ना म

अप्रार्थी :–

चेतन प्रकाश पुत्र ओमाराम जाति मेघवाल निवासी रमणीया जिला बाडमेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 8/8/025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 395 रकबा 0.4600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 396 रकबा 0.3300 हैक्टर एवं खसरा नंबर 398/1 रकबा 1.1900 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख बिसलपुर को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। निरीक्षक भू–अभिलेख चामुण्डेरी की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	396	0.33 हैक्टर	बा.दो.	26X9=234 वर्गमीटर	चेतन प्रकाश पुत्र ओमारामजी जाति मेघवाल निवासी रमनिया बाडमेर
	398/1	1.1900 हैक्टर	बा.दो.	148X7=1036 वर्गमीटर	चेतन प्रकाश पुत्र ओमारामजी जाति मेघवाल निवासी रमनिया बाडमेर

4. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख बिसलपुर द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 3,50,000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से जारी नोटिस का ऑनलाईन आइटम डिलीवर्ड स्टेटस पेश किया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

(मुहर: न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.))

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/77

अनवान किरण कुंवर बनाम चेतन प्रकाश

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 395 रकबा 0.4600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकः प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 395 रकबा 0.4600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 396 रकबा 0.3300 हैक्टर एवं खसरा नंबर 398/1 रकबा 1.1900 हैक्टर में से **234+1036=1270 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 3,50,000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
396	0.33 हैक्टर	26X9= 234 वर्गमीटर	35	8190X2=16380	चेतन प्रकाश पुत्र ओमारामजी जाति मेघवाल निवासी रमनिया वाडमेर
398/1	1.1900 हैक्टर	148X7=1036 वर्गमीटर	35	36260X2=72520	चेतन प्रकाश पुत्र ओमारामजी जाति मेघवाल निवासी रमनिया वाडमेर
		1270 वर्गमीटर		कुल राशि 88900/–	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 88900/– (अक्षरे अठासी हजार नौ सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थी द्वारा नहीं लिये जाने की दशा में तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/1050–1054 दिनांक
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, सेणा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक किरण कुंवर पुत्री कालुसिंह देवडा जाति राजपूत निवासी देलदर तहसील आबूरोड जिला सिरोही को सूचनार्थ।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली,जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner

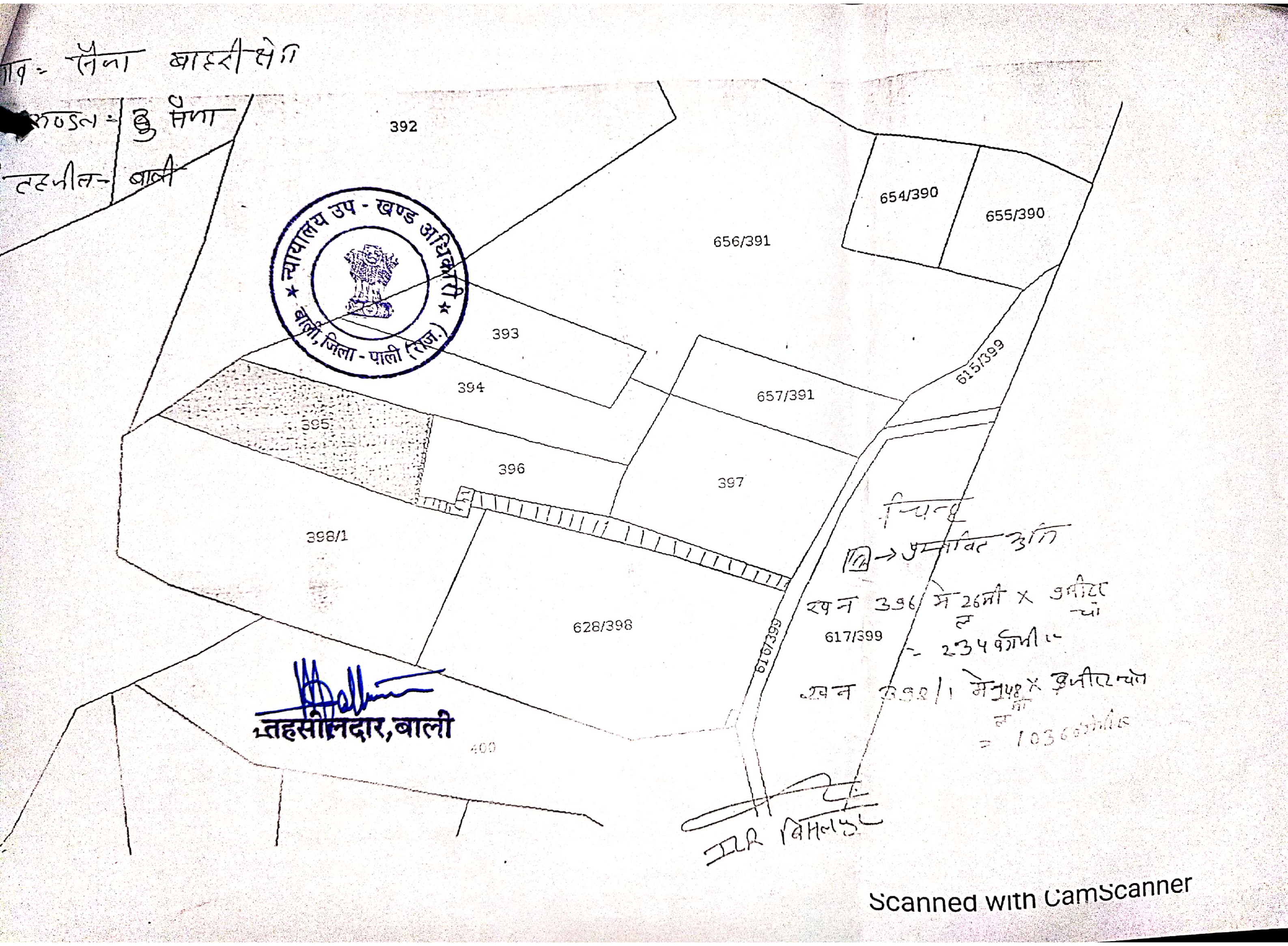

Scanned with CamScanner